



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट – ए संख्या - 1072/2026

कुमारी नशरीम जहां (अब दिवंगत) एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आदित्य वर्धन सिंह, केशरी नंदन सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवर

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य वर्धन सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता संख्या 2 एवं 3 का मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (जो अब दिवंगत हैं) क्लर्क के पद पर नियुक्त थे, जो 31.07.2023 को सेवानिवृत्त हुए तथा 19.06.2025 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता संख्या 2 एवं 3, याचिकाकर्ता संख्या 1 के वास्तविक अविवाहित भाई एवं बहन हैं।

3. वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना यह है कि अंतिम सेवा लाभ प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाए।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया जाना आवश्यक है।

5. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता एक विस्तृत प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्वयं सत्यापित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रतिवादी संख्या 2 उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर विधि के अनुसार, पात्रता, उपयुक्तता तथा यदि कोई प्रतिस्पर्धी दावे हों, उन्हें ध्यान में रखते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करेगा।

जनवरी 29, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवर,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"